राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विषेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.),' छत्तीसगढ़ की दिनांक 18/04/2023 को संपन्न 459वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

––––00––––

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति/ टीओआर /अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री देव कुमार पटेल), ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2318)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411966/ 2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–हस्तिनापुर, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199, कुल

क्षेत्रफल–1.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–20,416 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट प्रोजेक्ट (प्रो.–श्री जीवराज चंद्राकर), ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1612)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61881/2021, दिनांक 16/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/419965/2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 3615, 3618, 3649 3650, 3651, 3652, 3658, 3661, 3662, 3663, 3722/1, 3664/1, 3664/2, 3666, 3596, 3722/2, एवं 3723, कुल क्षेत्रफल – 6.93 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 5,102 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 663, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण, आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए उल्लंघन संबंधी तथ्यों का समावेश करते हुये पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स साल्हेभाठा ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईनिंग प्रोजेक्ट एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री बृजलाल दीवान), ग्राम–साल्हेभाठा, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1608)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61851/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/419925/2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–साल्हेभाठा, तहसील एवं जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/2, 158/3, 159, 187, 188/1, 188/2, 188/3, 189, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 196, 201, 202, 203, 204 एवं 205, कुल क्षेत्रफल–5.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता – 5,102 घनमीटर (51,02,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 659, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान त्रुटि होने के कारण, आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए उल्लंघन संबंधी तथ्यों का समावेश करते हुये पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई (यूनिट–1), तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2319)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 420038/2023, दिनांक 26/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–भेलाई (यूनिट–1), तहसील–बलौदा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 157/1, 158/3, 160, 161, 162/1 शामिल 163, 162/2, 162/3, 164/1, 165/1, 165/2, 178, 180, 190/1, 190/2, 194, 176, 182, 175 एवं 179, कुल क्षेत्रफल–15.13 एकड़ (6.123 हेक्टेयर) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 17 करोड़ (वर्तमान में 11.5 करोड़ तथा क्षमता विस्तार हेतु 5.5 करोड़) होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 400, दिनांक 27/11/2009 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–भेलाई तहसील व जिला–जांजगीर चांपा, कुल क्षेत्रफल – 6.125 हेक्टेयर (15.13 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता– 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष (200 TPH) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु स्थापना सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता– 0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण

दिनांक 01/06/2019 को जारी की गई, जो दिनांक 30/04/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैं।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी भेलाई 900 मीटर, अस्पताल बलोदा 2.6 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन अकलतरा 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर 44 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 20 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **भू–स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 15.13 एकड़ (6.123 हेक्टेयर) हैं, जिसमें वॉशरी प्लांट का क्षेत्रफल 1.46 एकड़ (9.68 प्रतिशत), रॉ–कोल, स्टॉक यार्ड, क्लीन कोल एवं रिजेक्ट्स का क्षेत्रफल 2.79 एकड़ (18.42 प्रतिशत), अन्य फेसिलिटी का क्षेत्रफल 4.07 एकड़ (26.9 प्रतिशत), वेकेंट भूमि 1.82 एकड़ (12 प्रतिशत) एवं ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 4.99 एकड़ (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल 50 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है।

7. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एसईसीएल के निकटतम खदानों गेवरा, दिपका एवं कुसमुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की

जाएगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईंट्स को ढ़ंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्क्रीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

10. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के प्रारंभिक दौर में वन टाईम 9,862 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वॉटर 410 घनमीटर प्रतिदिन {घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन} जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 29/05/2018 से 28/05/2023 तक अनुमति प्राप्त की गई है। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. **वृक्षारोपण की स्थिति** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल में से 4.99 एकड़ (33 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर में वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2022 से दिनांक 15/01/2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 29/09/2022 को सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

vi. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.

vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheriphery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2320)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 420126/2023, दिनांक 27/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 91/1, 92 (शामिल 93), 94 (शामिल 95), 96, 89/1, 89/2, 87 (शामिल 88), 90 (बटांकन उपरांत 90/3 एवं 90/2), 102/5, 102/1, 102/3, 85/20, 85/21, 85/2, 85/5, 786,

758/2, 783/2, 783/3, 793, 794, 789/1, 758/3 एवं 2/2, कुल क्षेत्रफल–19.82 एकड़ (8.02 हेक्टेयर) में संचालित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना का विनियोग रुपये 14.5 करोड़ (वर्तमान में 11.5 करोड़ तथा क्षमता विस्तार 3 करोड़) होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार वर्मा, जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 199, दिनांक 20/11/2012 द्वारा मेसर्स इंस्पायर इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर, कुल क्षेत्रफल–8.02 हेक्टेयर (19.82 एकड़) में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 780, दिनांक 06/08/2016 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–बेलमुण्डी एवं सकर्रा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के नाम पर हस्तांतरित की गई।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **जल एवं वायु स्थापना सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 05/12/2020 को जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/12/2025 तक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु कार्य समय (Working Hours) 8 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे किया जाएगा।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी बेलमुड़ी 1.5 कि.मी., निकटतम शहर बिलासपुर 10 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन बिलासपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अस्पताल बिलासपुर 10 कि.मी., चकरभाटा हवाई अड्डा बिलासपुर 12 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 2.7 कि.मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – परियोजना स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

7. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land Use	Area (in Acres)	Area (%)
1	Washery Plant	2.38	12.01
2	Raw coal, Stock yard, Clean coal & Rejects	5.55	28.00
3	Other Facilities (internal road,staff Qtr, WTP, Rain water harvesting etc.)	3.96	19.98
4	Green belt development / Plantation	6.55	33.05
5	Vacant land	1.38	06.96
Total		**19.82**	**100.00**

8. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। वाश्ड कोल 1.984 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रॉ–कोल एसईसीएल के निकटतम खदानों गेवरा, दिपका एवं कुसमुण्डा से आपूर्ति किया जाएगा। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वॉशरी से वाश्ड कोल का 30 प्रतिशत परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों एवं 70 प्रतिशत रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स एवं जंक्शन प्वाईट्स को ढ़ंका जाकर अतिरिक्त बेग फिल्टर से संलग्न कर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों ओर 3 मीटर ऊँची बाउण्ड्री वॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊँची स्कीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.496 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के

माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना के प्रारंभिक दौर में वन टाईम 9,862 घनमीटर जल की आवश्यकता होगी। तदोपरांत परियोजना हेतु घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 9,800 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। वॉशरी से उत्पन्न दूषित जल 9,452 घनमीटर प्रतिदिन को सेटलिंग पॉण्ड एवं बेल्ट प्रेस से उपचार उपरांत पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वॉटर 410 घनमीटर प्रतिदिन {घरेलू उपयोग एवं वृक्षारोपण हेतु 56 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं वॉशरी हेतु 348 घनमीटर प्रतिदिन} जल की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 250 घनमीटर प्रतिदिन के लिए दिनांक 08/12/2019 से 07/12/2022 तक थी। परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायक्लोन आधारित वेट कोल वॉशरी स्थापित किया जाएगा। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में, डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट क्षमता 30 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना की जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

12. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

13. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1,500 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण की स्थिति** – कुल क्षेत्रफल में से 6.55 एकड़ (33.05 प्रतिशत) में 610 नग प्रति एकड़ पौधों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। चारों तरफ कम से कम 20 मीटर चौड़ाई में हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

समिति का मत है कि उद्योग परिसर में वृक्षारोपण के क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुये 50 प्रतिशत कर संशोधित ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/12/2022 से दिनांक 28/02/2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में तत्समय सूचना दी गई थी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ की गई:–

i. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

ii. Project proponent shall submit compliance report for consent from Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iii. Project Proponent shall submit gram panchayat NOC for establishment of coal washery.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water (for expansion quantity).

vi. Project proponent shall submit proposal for 50% greenbelt area of total land area.

vii. Project proponent shall submit technical details of proposed plant with process flowchart.

viii. Project proponent shall submit road route alongwith map of transportation of coal.

ix. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report (for existing & proposed).

x. Project proponent shall undertake noise study and submit noise level report based on modelling (worst and best case scenario).

xi. Project proponent shall submit details of water balance chart, ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition (for existing & proposed).

xii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments alongwith stack height and pollution load calculation (for existing & proposed).

xiii. Project proponent shall carryout Social Impact Assessement & Socio Economic Survey in the project influenced area i.e. 10 km radius from the project site and included as part of EIA report.

xiv. Project proponent shall carry out Impact Assessement Study on flora, fauna & possible loss in biodiversity in the project influenced area and incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the layout plan with KML file of 50% of the total area for plantation and earmarking atleast 20 meter wide green belt all along the pheripery of the project area. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details of latitude & longitude alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स खम्हारडीह लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री पवन कुमार अग्रवाल), ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2321)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420135/ 2023, दिनांक 27/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–खम्हारडीह, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 192/5, 195/4, 197/1, 198/1, 198/2, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 202, कुल क्षेत्रफल–1.356 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–16,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सिद्धेश्वर प्रकाश अग्रवाल), ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2322)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 420189/2023, दिनांक 28/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पतेरापाली, तहसील–बसना, जिला–महासमुंद स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 107, कुल क्षेत्रफल–1.30 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,526 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/04/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी (मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री पदम कुमार सिंघानिया), ग्राम–बटुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2323)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/ 420540/2023, दिनांक 01/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बटुराबहार, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1041, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,084 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक चतुर्वेदी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 440/ख.शा./2022 जशपुर, दिनांक 28/11/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.938 हेक्टेयर का उल्लेख है।
2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी, प्रो.– श्री पदन कुमार सिंघानिया) के नाम से एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 415260/2023, दिनांक 21/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था, जिसका नस्ती प्रस्तुतीकरण 454वीं बैठक दिनांक 20/03/2023 को हुआ। उक्त प्रकरण में 500 मीटर की परिधि में स्थित खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 544/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 8.512 हेक्टेयर का उल्लेख है।
3. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुतीकरण के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जारी नवीन 500 मीटर की जानकारी को प्रस्तुत नहीं करते हुये लगभग 3 माह पुरानी जानकारी प्रस्तुत कर समिति को भ्रमित किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक {मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी (मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री पदम कुमार सिंघानिया)} के प्रस्ताव में क्लस्टर की वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक {मेसर्स बटुराबहार ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी

(मेसर्स तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, प्रो.–श्री पदम कुमार सिंघानिया)} के प्रस्ताव में क्लस्टर की वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराने हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स बारगांव ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी (प्रो.–श्री फालेश कुमार साहू), ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2324)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416899/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बारगांव, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 370/1, 370/2, 370/3 एवं 371/1, कुल क्षेत्रफल–2.04 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फालेश कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बारगांव का दिनांक 06/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक, खनिज प्रशासन, जिला–दुर्ग के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1568/खनि. अनु–01/2022 दुर्ग, दिनांक 11/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 862/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 863/खनि.लि./उ.प./मिट्टी/2023 बेमेतरा, दिनांक 25/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री फालेश कुमार साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 727/खनि.लि./डोलो/2020 बेमेतरा, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2022/4134 दुर्ग, दिनांक 19/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पिपरोलडीह 530 मीटर, स्कूल ग्राम–पिपरोलडीह 700 मीटर एवं अस्पताल आनंदगांव 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 100 मीटर एवं शिवनाथ नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 40,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 34,550 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,750 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 29 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200
द्वितीय	1,200
तृतीय	1,200
चर्तुथ	1,200
पंचम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,51,125 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये,

सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 92,800 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,99,925 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,43,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 450 वर्गमीटर क्षेत्र को रॉ–मटेरियल एकत्रित करने तथा 50 वर्गमीटर क्षेत्र को कार्यालय निर्माण करने हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
49.75	2%	0.995	Following activities at **Village- Bargaon**	
			Pavitra van Nirman	3.81
			Total	3.81

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,11,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,70,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बारगांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 9.28 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर ईट भठ्ठा का निर्माण निकटतम ग्रामीण क्षेत्र से 824 मीटर दूरी में निर्माण किये जाने बाबत् ईट भठ्ठा से निकटतम ग्रामीण क्षेत्र (अंक्षाश 21°32'51.64" देशांतर 81°34'13.88") को नक्शे में दर्शाते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में लीज क्षेत्र में फिक्स चिमनी का निर्माण कार्य आबादी से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़कर किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है, जबकि अनुमोदित माईनिंग प्लान में उक्त का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र के 1 कि.मी. के परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा

संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में लीज क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किये जाने एवं भविष्य में भी 50 प्रतिशत की दर से मिट्टी और फ्लाई ऐश का उपयोग कर ईंट निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. फिक्स चिमनी की ऊँचाई कम से कम 30 मीटर रखे जाने बाबंत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टें में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढककर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेंटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं कियो जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्हे भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हे मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
2. आबादी क्षेत्र से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी छोड़ते हुए (गैर माईनिंग क्षेत्र) तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. ब्लॉक रिर्जव की गणना से चिमनी को हटाते हुए तथा प्रस्तावित ईट निर्माण की संख्या का भी उल्लेख करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री रामदूत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नं.–7, ग्राम–कोनारी, बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2325)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 420819/2023, दिनांक 03/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् बरतोरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 7, कुल क्षेत्रफल–3.844 हेक्टेयर में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,800 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 14.05 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 459वीं बैठक दिनांक 18/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल अग्रवाल, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "for all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said EIA notification, 2006 and shall be exempted from the requirement of public consultation" का उल्लेख है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 24/12/2013 के अनुसार "All other non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates" का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन/ स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(श्री कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़